सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-1402/BR/8/2024-SSW-RU--IV

दिनांक: 13.05.2025

सेवा में,

डॉ. डी.आर. सिंह
उप-कुलपति,
बिहार कृषि विश्वविदयालय, सबौर,
भागलपुर, बिहार 813210
Email Id: vcbausabour@gmail.com
Tel. No: 0641-2451039

विषय: अनुसूचित जनजाति सहायक प्राध्यापक के साथ विश्वविदयालय प्रशासन द्वारा अत्याचार करने के संबंध में श्री राजकुमार साह, सहायक प्राध्यापक, Animal Genetics and Breeding, Veer Kunwar Singh College of Agrcultural,Distt-Buxar(Bihar) I

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट /की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

Yadav 13.5.25

(योगेन्द्र प्रसाद यादव / Y.P.Yadav)
उप सचिव /Deputy Secretary
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

Dr. Raj Kumar Sah,
Assistant Professor,
Animal Genetics And Breeding,
Veer Kunwar Singh College of Agriculture,
Dumraon, Buxar, Bihar - 802136
(Mobile No:9431880601)
(i) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(ii) NIC for uploading

NIC

सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
फा. सं. NCST/SER-1402/BR/8/2024-SSW

अनुसूचित जनजाति सहायक प्राध्यापक के साथ विश्वविदयालय प्रशासन द्वारा अत्याचार करने के संबंध में डॉ. राजकुमार साह, सहायक प्रोफेसर, पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमरांव, बक्सर, बिहार की शिकायत पर आयोग द्वारा आयोजित सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 26.03.2025 को 02:20 बजे अपराह्न
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार।

डॉ. राजकुमार साह सहायक प्रोफेसर-सह-कनिष्ठ वैज्ञानिक (पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन) की शिकायत दिनांक 18.06.2024 आयोग में प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि वह सहायक प्रोफेसर-सह-कनिष्ठ वैज्ञानिक (पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन) के पद पर नियुक्त हैं, उनकी नियुक्ति पशु चिकित्सा संकाय के अंतर्गत हुई थी। उनका यह पद मूल रूप से बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर के अंतर्गत आता था। हालांकि, वर्ष 2016 में बीएयू से "बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (बीएएसयू)", पटना का गठन किया गया। बीएएसयू अधिनियम-2016 के अनुसार, बिहार वेटरनरी कॉलेज, पटना एवं एसजीडीटी पटना के समस्त कर्मियों को उनके पद और बजट सहित बीएएसयू में स्थानांतरित किया जाना था। इसी आधार पर डॉ. साह का पद भी स्वाभाविक रूप से बीएएसयू के अंतर्गत आता है। डॉ. साह ने आरोप लगाया है कि उनके आवेदन पर बीएयू, सबौर द्वारा दी गई टिप्पणी न केवल गलत व भ्रामक है, बल्कि उनकी संतुष्टि के अनुकूल भी नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उसी विज्ञापन के अंतर्गत नियुक्त अन्य सभी संकाय सदस्य अपने-अपने संबंधित संकायों में कार्यरत हैं, परंतु उन्हें बीएयू, सबौर में रोके रखा गया है, जिससे उनकी पदोन्नति एवं करियर में बाधा उत्पन्न हो रही है। डॉ. साह का यह भी कहना है कि यह स्थिति न केवल सरकारी सेवा नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, बल्कि उनके अनुसूचित जनजाति समुदाय से होने के कारण भेदभावपूर्ण भी प्रतीत होती है। उन्होंने यह भी इंगित किया है कि बीएएसयू अधिनियम-2016 के तहत पहले ही कई गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा चुका है, इसलिए उनके स्थानांतरण में भी कोई विधिक या प्रशासनिक बाधा नहीं होनी चाहिए। अतः डॉ. राजकुमार साह ने अनुरोध किया है कि उनके स्थानांतरण की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें बीएयू, सबौर से मुक्त कर बीएएसयू, पटना में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाए।

2. आयोग द्वारा उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में 15 दिवस में रिपोर्ट मांगने हेतु उप-कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, बिहार को नोटिस दिनांक 23.07.2024 को भेजा गया।
3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर , भागलपुर, बिहार से रिपोर्ट दिनांक 27.08.2024 प्राप्त हुई, जिसे संतोषजनक न पाए जाने पर आयोग ने मामले में दिनांक 26.03.2025 को सुनवाई निर्धारित की। तदनुसार, सिटिंग नोटिस जारी किए गए।

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

4. मामले में उप-कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, बिहार बैठक में उपस्थित हुए । याचिकाकर्ता सिटिंग में उपस्थित रहे । उप-कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, बिहार द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान विश्वविद्यालय स्तर पर संभव नहीं है। अतः, इस विषय को माननीय राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। शिकायतकर्ता द्वारा आयोग अवगत कराया गया कि बीएएसयू अधिनियम-2016 के अनुसार, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (बीएएसयू) में बिहार वेटरनरी कॉलेज, पटना और संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के समस्त कर्मियों को उनके पद और बजट सहित स्थानांतरित किया जाना था। कुछ गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया, लेकिन शिकायतकर्ता का स्थानांतरण किसी कारणवश नहीं हो सका। शिकायतकर्ता वर्तमान में जिस संकाय में कार्यरत हैं, वह बीएयू में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन बीएएसयू में है। यदि वे इस संकाय में कार्य करते हैं, तो उन्हें भविष्य में पदोन्नति के अवसर नहीं मिलेंगे।

मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

i. शिकायतकर्ता के स्थानांतरण पर पुनर्विचार करना आवश्यक है ताकि उन्हें बीएएसयू में सेवा करने और पदोन्नति तथा अन्य अवसरों का लाभ उठाने का अवसर मिल सके। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि उन्हें ऐसा महसूस न हो कि उनके अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के कारण उनके साथ अन्याय हुआ है, और उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाए।
ii. **उप-कुलपति, बीएयू**, उप-कुलपति, बीएएसयू के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करें और माननीय राज्यपाल (बिहार) के समक्ष इस विषय को प्रस्तुत करें, जिससे शिकायतकर्ता की समस्या का शीघ्र समाधान हो सके।
iii. आयोग की ओर से माननीय राज्यपाल (बिहार) को इस विषय से अवगत कराया जाना है |

इस मामले की जांच रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
22/04/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1402/BR/8/2024-SSW-RU-IV

Sitting to be held on **26.03.2025 at 02:20 P.M** - अनुसूचित जनजाति सहायक प्राध्यापक के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अत्याचार करने के संबंध में - श्री राजकुमार साह, सहायक प्राध्यापक, Animal Genetics and Breeding, Veer Kunwar Singh College of Agrcultural, Distt - Buxar (Bihar)

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.			
3	H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
6.			
7.			
8.			
II	**Officers from O/o VC, Bihar Agricultural University, Sabour**		
1.	Dr D R Singh Vice Chancellor	BAU, Sabour 9434264404	[signature] 26/3/25
2.			
3.			
4.			
5.			
III	**Petitioners**		
1.	Dr. Rajkumar Sah	Bihar Agricultural University, Sabour 9431880609	[signature]
2.			